''बिजनेस पोस्ट के अन्तर्गत डाक शुल्क के नगद भुगतान (बिना डाक टिकट) के प्रेषण हेतु अनुमत. क्रमांक जी. 2-22-छत्तीसगढ़ गजट/38 सि. से. भिलाई, दिनांक 30-5-2001.''



पंजीयन क्रमांक ''छत्तीसगढ़/दुर्ग/सी. ओ./रायपुर/17/2002.''

छत्तीसगढ़ राजपत्र

(असाधारण)

प्राधिकार से प्रकाशित

क्रमांक 8] रायपुर, सोमवार, दिनांक 13 जनवरी 2003—पौष 23, शक 1924

छत्तीसगढ़ विधान सभा सचिवालय

रायपुर, दिनांक 13 जनवरी, 2003 (पौष 23, 1924)

अधिसूचना

क्रमांक 340/विधान/2003.—राज्यपाल महोदय का निम्नलिखित आदेश, दिनांक 9 जनवरी, 2003 सर्वसाधारण की जानकारी के लिए प्रकाशित किया जाता है :—

''भारत के संविधान के अनुच्छेद-174 के खण्ड (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुये, मैं, एतद्द्वारा इस राज्य की विधान सभा को सोमवार, दिनांक 17 फरवरी, 2003 को पूर्वान्ह 10.30 बजे से बलौदा बाजार मार्ग स्थित विधान सभा भवन, रायपुर में समवेत होने के लिये आमंत्रित करता हूं.

कैम्प दिल्ली,
दिनांक 9 जनवरी, 2003

दिनेश नंदन सहाय
राज्यपाल,
छत्तीसगढ़''.

हस्ता./-
(भगवानदेव ईसरानी)
सचिव,
छत्तीसगढ़ विधान सभा.

नियंत्रक, मुद्रण तथा लेखन सामग्री, छत्तीसगढ़ द्वारा शासकीय क्षेत्रीय मुद्रणालय, राजनांदगांव से मुद्रित तथा प्रकाशित—2003.